<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

महावीर शर्मा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 336/2022</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>01-11-2022</td><td>अपीलार्थी महावीर शर्मा निवासी रामदेव जी गी गली के सामने, पुरबियों का बास, उम्मेद चौक जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29. 078.2022 में (1) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर को गावं बूझावड़ में लीजडीड जारी किये जाने संबंधी पत्रावली की प्रतिलिपि देने, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से ज़रिये पत्रांक 1801 दिनांक 13.10.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथ्रना पत्र में वर्णित सूचना राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र की छाया प्रति धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 1335 दिनांक 16.08.2022 द्वारा प्रेषित कर 7 दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु अभी तक राजस्व शाखा से सूचना अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में उक्त अधिनियम की धारा 5(5) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना दिलाये जाने के निर्देश देने की प्रार्थना की।
चूंकि प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा से सूचना तैयार नहीं की गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलक्टर कार्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>